annexed) which have the highest incidence of child labour in the country. It has been decided that projects to eliminate child labour in hazardous occupation will be started as per the National Child Labour Project Scheme in these districts. At present, 12 National Child Labour Projects are under implementation in 8 States covering approximately 16,000 children. It has been estimated that an amount of Rs. 850 crores would be required to eliminate 20 lakhs child labour from hazardous occupations by the year 2000 AD. An allocation of Rs. 34.4 crores has been made in the current financial year to undertake projects for children withdrawn from work.

New package programme in Punjab

1457. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what are the names of blocks in Punjab which have been identified under the new package programme;

(b) what are the details of the works, Government propose to take up under this programme; and

(c) what amount has been allocated for this programme in the State during the year 1995-96?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) to (c) No Plan programme under the name 'New Package Programme' is under implementation in Punjab.

अकाल की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की मात्रा की आवश्यकता

1458. **श्री अनन्तराम जायसवाल:**
श्री सत्य प्रकाश मौलवीय:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी होने और विशेष रुप से अकाल से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न का आरक्षित भंडार कितना है और इसमें इस वर्ष आरक्षित भंडार की कितनी और अतिरिक्त मात्रा शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के भंडार रखने की क्या व्यवस्था की गई है तथा खुले में कितना गेहूं रखा हुआ है और रखे गये ऐसे खाद्यान्नों की स्थिति क्या है;

(घ) गोदामों में रखे गये खाद्यान्नों के भंडारों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है और उचित रख-रखाव के अभाव तथा अन्य कारणों से प्रतिवर्ष कितना खाद्यान्न खराब हो जाता है; और

(ङ) निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडराण हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) सूखे से उत्पन्न होने वाली स्थिति में भारी कमी का समाधान करने के लिए खाद्यान्नों की कोई विशिष्ट मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, वर्तमान बफर स्टॉक संबंधी नीति के अनुसार वर्ष में विभिन्न तारीखों को बनाये जाने वाले न्यूनतम स्टॉक निम्नलिखित है:—

(मिलियन मीटरी टन में)

दिनांक	गेहूं	चावल	जोड़
पहली अप्रैल	3.7	10.8	14.5
पहली जुलाई	13.1	9.2	22.3
पहली अक्टूबर	10.6	6.0	16.6
पहली जनवरी	7.7	7.7	15.4

(ख) भारतीय खाद्य निगम और सरकारी एजेन्सियों के पास केन्द्रीय पूल में 1.7.95 को स्थिति के अनुसार 35.6 मिलियन मीटरी टन (16.4 मिलियन मीटरी टन चावल और 19.2 मिलियन मीटरी टन गेहूं) खाद्यान्नों का अनंतिम स्टॉक था। आगामी खरीफ विपणन मौसम 1995-96 में 13.5 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का वसूली होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम वसूली से वितरण की अवस्था तक खाद्यान्नों का परिरक्षण और शुद्धता बनाए रखने के लिए कई उपाय करता है।

(i) गोदामों का मानसून पूर्व निरीक्षण किया जाता है और वर्ष के पानी का रिसाव रोकने के लिए मरम्मत कार्य किया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण किया जाता है और नियमित रुप से पीडक जन्तु नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

(iii) भण्डारण गोदामों को आधुनिक ढंग से बनाया जाता है ताकि वे मूषक प्रुफ और नमी प्रुफ रहें।

(iv) जब कभी आवश्यक होता है भण्डारित स्टॉक का रोग निरोधी और रोगहर उपचार किया जाता है। रोग निरोधी उपचार के अधीन स्टाक पर कीट नाशक दवाईयों का छिड़काव किया जाता है।

(v) यदि स्टाक का कैप में भण्डारण किया जाता है तो खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय और किए जाते हैं:

(1) स्टाक का लकड़ी की क्रेटों पर भण्डारण किया जाता है और इसे विशेष रु. से तैयार किए गए "वाटर प्रूफ पोलिथीन कवरों" से ढका जाता है।

(2) तूफानों के दौरान झोकें द्वारा कवर को होने वाली हानि को रोकने के लिए पोलीथीन कवर को उचित रुप से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की जाती है।

(3) अनाज को ठोस बनाए रखने के लिए साफ मौसम के दौरान खुले में स्टाक का वातन किया जाता है।

Villages not covered under RPDS

1459. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there are any villages in tribal, mountainous and desert areas in the country which are not covered by Revamped Public Distribution System;

(b) if so, what is the break up of such villages State-wise; and

(c) what steps Government are taking to cover these villages under the RPDS?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) Blocks are generally the basic units for identifications of area coverage under Revamped Public Distribution System (RPDS). It is presently being implemented in 1775 blocks in 27 States/UTs covered under various area specific programmes like Integrated Tribal Development Project (ITDP), Desert Prone Area Programme (DPAP), Desert Development Programme (DDP) and Designated Hill Areas (DHA) identified in consultation with States/UTs. Village level details are not maintained by the Central Government.

गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में जनजातियों का विकास

1460. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में जन-जातियों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) जन-जातियों के उत्थान की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पचवर्षीय योजना के लिए कुल कितनी धनराशि रखे जाने का प्रस्ताव है और कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की जन-जातियों के विकास से संबंधित को क्या-क्या प्राथमिकताएं दी गई हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) से (ग) जनजातीय उप-योजना के तहत कल्याण मंत्रालय गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य योजना में वृद्धि के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय/विभाग भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय/केंद्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इनसे भी गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों सहित अन्य जनजातीयों को लाभ होगा। कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की जनजातियों के विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अलग से विशेष आवंटन निर्धारित नहीं किया गया है। बहरहाल, गुजरात राज्य सरकार के